

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.26(55)न्याय/2015 पार्ट IV

जयपुर, दिनांक:

आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.03.2024 के क्रम में न्यायिक अधिकारीगण को राज्य सरकार के निर्णयानुसार कार ऋण की सुविधा राष्ट्रीयकृत बैंक से उपलब्ध कराये जाने के क्रम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दरें न्यूनतम होने के कारण इन्हें अनुमोदित किया जाकर बैंक के साथ मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (एम.ओ.यू.) निष्पादित किया गया है।

उक्त मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग के अनुसार न्यायिक अधिकारीगण को 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के अतिरिक्त ब्याज की अन्तर राशि (Interest Subvention) राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। ऐसे ऋण की अधिकतम सीमा राशि रू. दस लाख (अंक 10.00 लाख) होगी। न्यायिक अधिकारियों द्वारा बैंक को पूर्ण ब्याज का भुगतान किया जायेगा एवं अन्तर राशि का पुनर्भरण विधि विभाग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अन्तर राशि का पुनर्भरण लेखामद 2014-00-102-(03)-[01]-43 एवं 2014-00-105-(24)-[01]-43 से किया जायेगा।

यह प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. क्रमांक 332400613 दिनांक 11.06.2024 पर प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(ब्रजेंद्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
- 2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
- 3 निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 5 महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर।

RajKorDns
8170526

- 8 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
- 9 वित्त (नियम/बजट/व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 11 रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 12 समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान ।
- 13 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. समस्त जिला कोषाधिकारी, राजस्थान।
- 17 प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
- 18 रक्षित पत्रावली।

(ब्रजेंद्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव

RajKaj Ref
8170526

Document certified by BRAJENDRA KUMAR
JAIN <judgeCBI2015@gmail.com>.

Digitally Signed by BRAJENDRA
KUMAR JAIN
Designation: Principal Secretary
To Government
Date :21-06-2024 05:51:26